

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1481 /2021 दिनांक 04.02.2021


डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया (RJ0357), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामां (भरतपुर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं :-

1. दिनांक 09.11.2020 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.11.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 10.11.2020 से 24.11.2020 तक 15 दिवस का परावर्तित अवकाश।
3. दिनांक 25.11.2020 से 19.12.2020 तक 25 दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 20.12.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

डॉ. अटवासिया की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, डीग (भरतपुर) / वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां (भरतपुर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामां (भरतपुर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

 04/2/2021


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/63/2000/ 966

दिनांक : 04 .02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 5765 दिनांक 22.12.2020 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया (RJ0357), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामां (भरतपुर)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामां (भरतपुर)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम- 01, डीग (भरतपुर)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, कामां (भरतपुर)।


सहायक रजिस्ट्रार